निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 51/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

भौली देवी पत्नी विनोद जाति मीणा निवासी ग्राम चक नम्बर 1, नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री बजरंग लाल स्वामी आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर।

2 जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र रामनारायण

3 गोपीचन्द पुत्र रामनारायण

4 रामफूल पुत्र रामनारायण

5 लेखराज पुत्र रामनारायण

6 छोटीलाल पुत्र रामनारायण

7 कैलाशी पुत्री रामनारायण

8 भौली पुत्री रामनारायण

9 लाली पुत्री रामनारायण

10 वर्षा पुत्री श्री विनोद

11 राशि पुत्री विनोद ना.सं. माता श्रीमती भौली देवी पत्नी विनोद

12 रिषभ पुत्र विनोद ना.सं. माता श्रीमती भौली देवी पत्नी विनोद

13 नेहा पुत्री विनोद ना.सं. माता श्रीमती भौली देवी पत्नी विनोद

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम चक नम्बर 1, नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

14 ओम प्रकाश पुत्र हनुमान सहाय

15 राजन पुत्री हनुमान सहाय

16 लड्डू देवी पुत्री हनुमान सहाय

17 ललित पुत्र हनुमान सहाय

18 सुरेश पुत्र हनुमान सहाय

19 सुशीला पुत्री हनुमान सहाय

समस्त जाति जांगिड, निवासी ग्राम नागल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

20 कमली पत्नी कालूराम

21 जगदीश प्रसाद पुत्र. गोपाल

22 फूलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण

23 गौरी देवी पत्नी गिरधारी

24 मोहन लाल पुत्र छाजूराम

25 रमेश पुत्र गिरधारी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

26 रवि पुत्र कालूराम

27 राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण

28 नाबालिग ईशा पुत्री कालूराम ना. सं. माता कमली देवी

29 नाबालिग युवराज पुत्र कालूराम ना सं. माता कमली देवी

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगल सुजावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

30 जसवन्त पुत्र सांवत सिंह यादव जाति अहीर, निवासी गाव पोस्ट चांदपुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर ।

31 ट्रांयकोर्ड सौल्यूशन प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर एस. एल. यादव कार्यालय 71/299 ए, केन्द्रीय विद्यालय, पांच के पास, मानसरोवर, जयपुर ।

32 नन्द किशोर पुत्र किशन लाल जाति मीणा निवासी पडाक छापली, तहसील थानागाजी अलवर।

33 सीताराम अजमेरा पुत्र रामेश्वर प्रसाद अजमेरा जाति महाजन, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

34 उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय आमेर, जयपुर ।

36 तहसीलदार तहसील कार्यालय आमेर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या ..../2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024 ब उनवानी जगदीश प्रसाद मीणा बनाम ओम प्रकाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:—

1. श्री आशीष कुमार सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विनोद कुमार सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 की ओर से ।
3. श्री ओम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 14, 15, 17, 18 व 19 की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या ..../2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024 ब उनवानी जगदीश प्रसाद मीणा बनाम ओम प्रकाश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार सेनी उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 14, 15, 17, 18 व 19 की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी तक पत्रावली तामील में चल रही है तथा न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण पक्षकारों की तामील पूर्ण नहीं हुई है तथा प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष तलवाना पेश करके नोटिस प्रस्तुत कर दिये गये तथा उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 06.04.2024 को तारीख पेशी नियत थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थिया के घर पर आये तथा मौके पर आकर लडाई झगड़ा करने लग गये । अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों के बीच में भू माफिया लोकेश कुमार पुत्र कालूराम व अन्य लोगों ने प्रार्थिया को डराते धमकाते हुये धमकी देने लगे की हमने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर ली है तथा पीठासीन अधिकारी के बारे में कहने लगे की वह हमारी जानकारी नजदीकी सगे संबंधी है तथा उक्त जमीन को बिना नाम करवाये आपके द्वारा लिये गये आदेश को तुड़वा सकता हूँ तथा अपने मन माफिक आदेश करवा सकता हूँ। ऐसा करते हुये मुझे एलानिया धमकी दी है कि हम आपके द्वारा प्रस्तुत दावे को कभी भी खारिज करवा सकते है। ऐसी धमकी मुझे घर पर तथा आस पास उपस्थित लोगों के बीच दी गई । इस कारण प्रार्थिया एक दम सहम गई तथा काफी देर सोच विचार करने के पश्चात प्रार्थिया को एहसास हुआ कि अप्रार्थीगण व भू माफिया की पहुंच के कारण प्रार्थिया को न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए प्रार्थिया को प्रतीत हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का समर्थन करते मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है।
6. अप्रार्थी संख्या 14, 15, 17, 18 व 19 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थिया येनकेन प्रकारेण प्रकरण में विलम्ब करना चाहती है, इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।
7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन ओदश जारी किया है और उनमें से एक प्रार्थिया द्वारा उसी पीठासीन अधिकारी से न्याय में शंका जाहिर की है जिससे प्रार्थिया का स्थगन की आड में प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मनःस्थिति स्पष्ट जाहिर होती है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner